बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

<u>निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।</u>

पत्रांक– टी–2 / योजना–06 / 2025–.....1007 /   पटना, दिनांक–10 / 06 / 2026

प्रेषक,

विशेष सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– "नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नबीनगर, औरंगाबाद की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 2026–27 से 05 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने, स्थापना हेतु कुल 38 (अड़तीस) पदों का सृजन तथा रूपये 211.89 लाख (रूपये दो करोड़ ग्यारह लाख नवासी हजार मात्र) प्रति वर्ष राशि का व्यय एवं भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड, नबीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएँ एकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के शिक्षित युवकों / युवतियों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, उन्हें कुशल तकनीशियन / कामगार एवं स्वावलंबी बनाने हेतु आधुनिक व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से "नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नबीनगर, औरंगाबाद की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 2026–27 से 05 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने, स्थापना हेतु कुल 38 (अड़तीस) पदों का सृजन तथा रूपये 211.89 लाख (रूपये दो करोड़ ग्यारह लाख नवासी हजार मात्र) प्रति वर्ष राशि का व्यय एवं भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड, नबीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएँ एकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार प्रदान करती है।

2. संस्थान के भवन एवं कर्मशाला का निर्माण तथा मशीन, टूल्स एवं उपस्कर की आपूर्ति भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। संस्थान का निर्मित परिसर एवं सुविधाएँ निःशुल्क राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जायेगा तथा उक्त संस्थान का देख–रेख एवं संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. संस्थान में प्रारंभ किये जाने वाले सभी व्यवसायों के 30 प्रतिशत सीट पर नामांकन भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड द्वारा तथा शेष सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा आई0टी0आई0 कॉमन एडमिशन टेस्ट के माध्यम से किया जायेगा।

4. वर्तमान में कुल 05 आधुनिक एवं लोकप्रिय व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जायेगा, जो निम्नवत है:–

संस्थान का नाम	क्रमांक	व्यवसाय का नाम	यूनिट
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नबीनगर, औरंगाबाद	01	इलेक्ट्रिशियन	2(1+1)
	02	फिटर	2(1+1)
	03	कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट	2(1+1)
	04	मैकेनिक डीजल	2(1+1)
	05	वेल्डर	2(1+1)

5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नबीनगर, औरंगाबाद के स्थापना के निमित्त निम्न प्रकार पदों का सृजन किया जाता है:–

क्रमांक	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड–पे	पे–लेवल	पद की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	प्राचार्य	PB-3	6600	11	1
2	उप–प्राचार्य	PB-2	5400	9	1
3	ग्रुप अनुदेशक	PB-2	4600	7	2
4	व्यवसाय अनुदेशक	PB-2	4200	6	10
5	गणित अनुदेशक	PB-2	4200	6	1
6	ड्राइंग अनुदेशक	PB-2	4200	6	1
7	इम्पालयबिलिटी स्कील अनुदेशक	PB-2	4200	6	1
8	प्रधान लिपिक	PB-2	4200	6	1
9	उच्च वर्गीय लिपिक	PB-1	2400	4	3
10	निम्न वर्गीय लिपिक	PB-1	1900	2	4
11	मिश्रक	PB-1	1900	2	1
12	डाटा इंट्री ऑपरेटर	संविदा/ आउटसोर्सिंग पर	25209.00 समेकित (बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित)		1
13	कार्यालय परिचारी	संविदा/ आउटसोर्सिंग पर	13835.00 समेकित		8
14	स्वीपर	संविदा/ आउटसोर्सिंग पर	13835.00 समेकित		3
					कुल–38 (अडतीस पद)
डाटा इंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी एवं स्वीपर की नियुक्ति संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर की जायेगी।					

6. स्थापना संबंधी व्ययः–

क्रमांक	**मद का नाम**	**राशि रूपये में**
1	वेतन	1,05,80,000
2	जीवन यापन भत्ता	56,26,000
3	मकान किराया भत्ता	8,50,000
4	चिकित्सा भत्ता	3,00,000
	(क) योग	**1,73,56,000**
5	यात्रा व्यय	10,000
6	कार्यालय व्यय	1,00,000
7	दूरभाष	10,000
8	विद्युत प्रभार	6,00,000
9	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	5,04,000
10	अनुरक्षण एवं मरम्मत	1,000
11	छात्रवृति/वजीफा	23,000
12	प्रोत्साहन	4,56,000
13	संविदा सेवायें	21,29,000
	(ख) योग	**38,33,000**
	(क+ख) कुल योग	**2,11,89,000**

7. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2230– श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष–0106– नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड–53–2230031010106 में उपबंधित राशि के अन्तर्गत किया जायेगा। राशि का आवंटन वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

8. इस योजना के नियंत्रिक पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होगें तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नबीनगर, औरंगाबाद के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य होंगे।

9. इस स्थापना हेतु प्राधिकार पत्र हेतु निर्गत किया जाना अपेक्षित है। राशि की निकासी जिला कोषागार औरंगाबाद से की जायेगी। इससे संबंधित कोषागार एवं वेतनादि की निकासी का विपत्र कोड निम्न प्रकार है:-

क्र0	नवसृजित का नाम	कोषागार का नाम	विपत्र कोड की विवरणी जिससे राशि आहरित होगी
01	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नबीनगर, औरंगाबाद	जिला कोषागार औरंगाबाद	माँग संख्या – 53 मुख्य शीर्ष 2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण लघु शीर्ष–101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उप शीर्ष–0106 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड–53–2230–03–101–0106

10. प्रस्ताव में लोक वित्त समिति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव में वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/- 10/6/26
विशेष सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–2/बजट–04/2026 1007 पटना, दिनांक– 10.06.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 10/6/26
विशेष सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–2/बजट–04/2026 1007 पटना, दिनांक– 10.06.2026

प्रतिलिपिः– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ योजन एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, के आप्त सचिव/सचिव युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, विभाग के आप्त सचिव/आतंरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 10/6/26
विशेष सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–2/बजट–04/2026 1007 पटना, दिनांक– 10.06.2026

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/विभाग के सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 10/6/26
विशेष सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।